न्यायपालिका मुख्य परीक्षा

के लिए

शीर्ष 40 महत्वपूर्ण निबंध

(हिंदी संस्करण)

Tansukh Paliwal
LL.M, CA
Ex. Govt Officer (Raj.)
Founder, Linking Laws

Sample Preview

Linking Publication
Jodhpur, Rajasthan

Click Here to Buy Linking Publications

निबन्ध (Essay)

क्र. सं.	निबंध	पृ. सं.
1.	समान नागरिक संहिता	5-8
2.	कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)	9-10
3.	भारत में महिला शास्क्तिकरण	11-13
4.	एक देश : एक चुनाव	14-17
5.	भारत में न्यायिक सक्रियता	18-19
6.	भारत में कन्या भ्रूण हत्या	20-21
7.	भारत में LGBT संप्रदाय	22-23
8.	भारत में इच्छामृत्यु	24-25
9.	भारतीय संसद में महिला आरक्षण	26-27
10.	साम्प्रदायिकता	28-30
11.	भारत में गठबन्धन सरकार	31-32
12.	भारत में सरोगेसी की वैधानिकता	33-34
13.	भारत में सूचना का अधिकार	35-36
14.	भारत में न्यायिक नैतिकता	37
15.	भारत में वैवाहिक बलात्कार का कानूनी स्थिति	37-39
16.	भारतीय लोकतंत्र के लिए साइबर खतरा	40-41
17.	भारत में ऑनलाइन गेमिंग का युवाओं पर खतरा	42-43
18.	मीडिया विचारण और न्यायिक विचारण	44-45
19.	भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता	46-47
20.	भारत में मृत्यु दंड	48-49
21.	भारत में विरोध करने का अधिकार	50-51
22.	भारत में निजता का मौलिक अधिकार	52-53
23.	भारत में मूल्यपूर्ण शिक्षा की आवश्यकता	54-55
24.	भारत में असहिष्णुता	56-57
25.	त्वरित न्याय: नागरिक का मौलिक अधिकार है	58-59
26.	पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण में भारतीय न्यायपालिका की भूमिका	60-61
27.	राजस्थानी संस्कृति का संवर्धन	62-63
28.	राजस्थान में पर्यटन की संभावनाएँ	64-65
29.	राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा	66-67
30.	भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्रीमी लेयर को आरक्षण	68-69
31.	भारत में दोषमुक्त होना और सम्मानजनक दोषमुक्त होना	70-72
32.	भारत में पीढ़ी का अंतर	73-74
33.	न्यायाधीश केवल कलम के माध्यम से बोलते हैं	75-79
34.	मोबाइल फोन: भारत में वरदान या अभिशाप	80-83
35.	भारत में नये आपराधिक कानून: वरदान या अभिशाप?	84-87
36.	भारत में ऑनलाइन शिक्षा	88-91
37.	आधुनिकता की दौड़ भारत में पारंपरिक मूल्यों के पतन की ओर ले जा रही है	92-94
38.	राजस्थान: वीरों की भूमि	95-97
39	यौन उत्पीड़न: भारत में छिपा सच	98-100
40	सोशल मीडिया और बाल विकास: अवसर और चुनौतियाँ	101-104

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

1. समान नागरिक संहिता

परिचय

समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code - UCC) भारत के कानूनी और राजनीतिक विमर्श में एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद मुद्दा है। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान व्यक्तिगत कानून प्रणाली का निर्माण करना है, जो विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, और दत्तक ग्रहण जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करे। वर्तमान में, भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानून होते हैं, जो समाज में असमानता और कानूनी भ्रम पैदा कर सकते हैं। इस निबंध में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता, इसके संभावित लाभ और चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी।

गोवा सिविल कोडगोवा एकमात्र भारतीय राज्य है जहाँ सामान्य परिवार कानून के रूप में यूसीसी है। पुर्तगाली नागरिक संहिता जो आज भी लागू है, गोवा में 19वीं शताब्दी में लागू की गई थी और इसकी मुक्ति के बाद इसे बदला नहीं गया था।विशेषताएं-गोवा में समान नागरिक संहिता एक प्रगतिशील कानून है जो पति और पत्नी और बच्चों के बीच आय और संपत्ति के समान विभाजन की अनुमति देता है (regardless of gender).प्रत्येक जन्म, विवाह और मृत्यु का अनिवार्य रूप से पंजीकरण किया जाना चाहिए।तलाक के लिए कई प्रावधान हैं।जिन मुसलमानों के विवाह गोवा में पंजीकृत हैं, वे तीन तलाक के माध्यम से बहुविवाह या तलाक का अभ्यास नहीं कर सकते हैं।विवाह के दौरान, प्रत्येक पति या पत्नी के स्वामित्व वाली या अर्जित सभी संपत्ति और संपत्ति आमतौर पर दंपति के पास होती है।तलाक के मामले में प्रत्येक पति या पत्नी संपत्ति के आधे हिस्से का हकदार है और मृत्यु के मामले में, संपत्ति का स्वामित्व जीवित सदस्य के लिए है।माता-पिता अपने बच्चों को पूरी तरह से बेदखल नहीं कर सकते। उनकी संपत्ति का कम से कम आधा हिस्सा बच्चों को दिया जाना चाहिए। इस विरासत में मिली संपत्ति को बच्चों के बीच समान रूप से साझा किया जाना चाहिए।हालांकि, कोड में कुछ कमियां हैं और यह सख्ती से एक समान कोड नहीं है। उदाहरण के लिए, हिंदू पुरुषों को गोवा के गैर-यहूदी हिंदुओं के उपयोग और रीति-रिवाजों की संहिताओं में उल्लिखित विशिष्ट परिस्थितियों में द्विविवाह का अधिकार है (*if the wife fails to deliver a child by the age of 25, or ifshe fails to deliver a male child by the age of 30*). अन्य समुदायों के लिए, कानून बहुविवाह को प्रतिबंधित करता है।

अनुच्छेद 44 राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों से मेल खाता है जिसमें कहा गया है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में अपने नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (यूसीसी) प्रदान करने का प्रयास करेगा।

समान नागरिक संहिता पर बहस

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य - एक समान नागरिक संहिता के लिए बहस भारत में औपनिवेशिक काल से शुरू होती है।

- स्वतंत्रता पूर्व (औपनिवेशिक युग)
- **अक्टूबर 1840 की लेक्स लोसी रिपोर्ट-**इसने अपराधों, साक्ष्य और अनुबंध से संबंधित भारतीय कानून के संहिताकरण में एकरूपता के महत्व और आवश्यकता पर जोर दिया। लेकिन, इसने यह भी सिफारिश की कि हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को इस तरह के संहिताकरण से बाहर रखा जाना चाहिए।
- **रानी की 1859 की घोषणा-**इसने धार्मिक मामलों में पूर्ण गैर-हस्तक्षेप का वादा किया।

  इसलिए जबकि आपराधिक कानूनों को संहिताबद्ध किया गया था और पूरे देश के लिए आम हो गया था, व्यक्तिगत कानूनों को विभिन्न समुदायों के लिए अलग-अलग संहिताओं द्वारा शासित किया जाना जारी है।
- उत्तर-औपनिवेशिक युग (1947-1985)

  संविधान के मसौदे के दौरान, जवाहरलाल नेहरू और डॉ. बी. आर. अम्बेडकर जैसे प्रमुख नेताओं ने एक समान नागरिक संहिता के लिए जोर दिया। हालांकि, उन्होंने मुख्य रूप से धार्मिक कट्टरपंथियों के विरोध और उस दौरान लोगों के बीच जागरूकता की कमी के कारण यूसीसी को राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों (डीपीएसपी, अनुच्छेद 44) में शामिल किया।

Click Here to Buy Linking Publications

Sample Preview

10. साम्प्रदायिकता (Communalism)

लोग टूट जाते है ... बशीर चन्द्र

- परिचय व 3 चरण
- कारण / प्रक्रिया
- इतिहास 'फूट डालो और राज करो
- सुझाव

Quote (स्वामी विवेकान्नद)

'लोग टूट जाते है इक घर बनाने में

तुम तरस भी नहीं खाते बस्तिया जलाने में '

- (हिन्दु-मुस्लिम दगों में अपना घर जलते देखो बशीर चन्द्र के दिल का दर्द कहती पंक्तिया)

उक्त पंक्तिया भारत जैसे 'वसुधैव कुटुम्बकम' सम्पूर्ण जगत एक परिवार हैं) के सिद्धान्त का प्रतिपादन करने वाले और विश्व की प्रेम और शान्ति का संदेश देने वाले राष्ट्र के धरातल पर व्याप्त साम्प्रदायिक द्वेष भाव का चित्रांकन करती हुई प्रतीत होता है।

क्या है ये साम्प्रदायिकता? एक हिन्दु जब गर्व के कहता है कि वह हिन्दू है, क्या ये साम्प्रदायिकता हैं या जब एक मुसलमान , मुसलमान बने रहने के लिए अपनी जान को देने का ढंग भरे तब साम्प्रदायिकता होती है या जब एक अपसंख्यक अपनी उपर होने वाले शोषण के विरुद्ध आवाज उठाए तब? ऐसे अनेक प्रश्न जो हमें साम्प्रदायिकता के सुस्पष्ट परिभाषा ढूंढने के लिए विवश करते है।

प्रसिद्ध इतिहासकार प्रो. विपिन चन्द्र, साम्प्रदायिकता का स्पष्टीकरण 3 चरणों में प्रस्तुत करते हे :

अंतिम चरण ➡ **अन्य समाज के सबधित हितों के स्वयं के समुदाय से विपरित समझना । (उग्ररूप)**

द्वितीय चरण ➡ **एक समुदाय द्वारा अपने संबधित हितों को अन्य समुदाय से भिन्न मानना। ('विकास')**

प्रथम चरण ➡ **किसी सम्प्रदाय विशेष के सदस्यों द्वारा अपने समुह से संबधित हितों की पहचान करना ('उदभव')**

वास्तव में साम्प्रदायिकता एक विचारधारा हैं, जो बताती है कि सामाज धार्मिक समुदाय में विभाजित है, जिनके हित एक-दूसरे से भिन्न, जो पारम्परिक विरोध के कारण भी बन जाते हैं। साम्प्रदायिकता का अंग्रेंजी पर्याय है 'Communalism' हालाकि यह कहना रोचक है कि जिस साम्प्रदायिकता को हमने नकारात्मकला का उपनाम दिया हैं। इसका मुल शब्द कम्यून (Commune) जिसका अर्थ - है मिल-जुलकर भाईचारे के साथ रहना ।

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

30. भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्रीमी लेयर को आरक्षण

परिचय

भारत एक ऐसा देश है, जिसमें सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ गहराई से जड़ी हुई हैं। भारतीय संविधान ने विभिन्न जातियों और जनजातियों के विकास के लिए आरक्षण नीति की व्यवस्था की है, जिसका उद्देश्य समाज के पिछड़े वर्गों को समान अवसर प्रदान करना है। अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षण, उनके सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए, उन्हें शैक्षिक और रोजगार के अवसरों में सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है। हालांकि, आरक्षण की इस व्यवस्था में "क्रीमी लेयर" की अवधारणा को लेकर बहस होती रही है। इस निबंध में हम भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्रीमी लेयर को आरक्षण के संदर्भ में विभिन्न पहलुओं की चर्चा करेंगे।

आरक्षण का इतिहास और अवधारणा

1. आरक्षण की अवधारणा:

- **संविधान की धाराएँ:** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को शैक्षिक और रोजगार के अवसरों में आरक्षण प्रदान किया गया है। इसका उद्देश्य समाज के पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा में लाना और उनके विकास को सुनिश्चित करना है।

2. क्रीमी लेयर की अवधारणा:

- **क्रीमी लेयर:** "क्रीमी लेयर" शब्द उन व्यक्तियों या परिवारों के लिए प्रयोग किया जाता है, जो आर्थिक और सामाजिक रूप से बेहतर स्थिति में होते हैं और आरक्षण का लाभ उठाने की आवश्यकता नहीं होती। क्रीमी लेयर की अवधारणा मुख्यतः ओबीसी (अधिक पिछड़े वर्ग) के संदर्भ में लागू की गई है, परंतु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में भी यह चर्चा का विषय रही है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्रीमी लेयर पर आरक्षण: विश्लेषण

1. आरक्षण की प्रभावशीलता:

- **सामाजिक न्याय:** अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता सुनिश्चित करना है। इससे समाज के उन हिस्सों को अवसर मिलते हैं जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़े और उपेक्षित रहे हैं। हालांकि, क्रीमी लेयर की अवधारणा इस आरक्षण के प्रभाव को चुनौती देती है।

2. क्रीमी लेयर पर आरक्षण की आवश्यकता:

- **आर्थिक स्थिति और भिन्नता:** अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर आर्थिक और सामाजिक भिन्नता होती है। कुछ परिवार और व्यक्ति अपनी स्थिति में सुधार कर चुके हैं और उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में, क्रीमी लेयर की अवधारणा यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकती है कि आरक्षण का लाभ वास्तव में उन लोगों तक पहुंचे जिनकी स्थिति सुधार नहीं हुई है।

3. संविधान और न्यायिक दृष्टिकोण:

- **संविधान की स्थिति:** भारतीय संविधान ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को विशेष संरक्षण प्रदान किया है। क्रीमी लेयर की अवधारणा को लागू करना इस विशेष संरक्षण की भावना के विपरीत माना जा सकता है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न मामलों में क्रीमी लेयर की अवधारणा को लागू करने पर विचार किया है और इसे ओबीसी वर्ग में ही मुख्यतः लागू किया है।

Sample Preview
Click Here to Buy Linking Publications

40. भारत में सोशल मीडिया और बाल विकास: अवसर और चुनौतियाँ

परिचय

सोशल मीडिया आधुनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है, जो बच्चों सहित व्यक्तियों के संवाद, सीखने और दुनिया को देखने के तरीके को गहराई से प्रभावित कर रहा है। बच्चों के लिए, सोशल मीडिया सूचना, रचनात्मक अभिव्यक्ति और वैश्विक संपर्क तक अभूतपूर्व पहुँच प्रदान करता है, लेकिन यह उनके संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास के लिए गंभीर जोखिम भी पैदा करता है। बाल विकास पर सोशल मीडिया का प्रभाव एक गंभीर मुद्दा है, क्योंकि 10-18 वर्ष की आयु के बच्चे भारत की जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, इस आयु वर्ग में 25 करोड़ से अधिक बच्चे हैं (जनगणना 2011, समायोजित अनुमान)। यह निबंध भारत में बाल विकास पर सोशल मीडिया के बहुआयामी प्रभावों की पड़ताल करता है, इसके लाभों, चुनौतियों और हाल के विकासों की जाँच करता है और साथ ही इसके उपयोग के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए रणनीतियाँ प्रस्तावित करता है।

बाल विकास में सोशल मीडिया की भूमिका

सोशल मीडिया उन ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म को संदर्भित करता है जो उपयोगकर्ताओं को सामग्री बनाने, साझा करने और उससे जुड़ने में सक्षम बनाते हैं। बच्चों के लिए, ये प्लेटफ़ॉर्म शिक्षा, मनोरंजन और सामाजिककरण के साधन के रूप में काम करते हैं। बचपन के विकासात्मक चरण—प्रारंभिक बचपन (5-10 वर्ष), पूर्व-किशोरावस्था (11-13 वर्ष), और किशोरावस्था (14-18 वर्ष)—बाहरी प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं, जिससे सोशल मीडिया का प्रभाव महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके प्रभावों को संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक अवसर और जोखिम दोनों प्रस्तुत करता है।

बाल विकास के लिए सोशल मीडिया के लाभ

सोशल मीडिया अनेक लाभ प्रदान करता है जो उचित उपयोग किए जाने पर बच्चों के विकास पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है:

1. **शैक्षिक अवसर**

   सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शैक्षिक संसाधनों के भंडार तक पहुंच प्रदान करते हैं:

   - **शिक्षण प्लेटफ़ॉर्म:** यूट्यूब पर चैनल और इंस्टाग्राम पर शैक्षिक खाते ट्यूटोरियल, विज्ञान प्रयोग और भाषा पाठ प्रदान करते हैं।
   - **कौशल विकास:** सोशल मीडिया ट्यूटोरियल और कम्युनिटीज़ के ज़रिए बच्चों को कोडिंग, ग्राफ़िक डिज़ाइन और डिजिटल मार्केटिंग जैसे कौशल सिखाता है। 2025 तक, 1 करोड़ से ज़्यादा भारतीय बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए ऑनलाइन कोर्स में दाखिला ले चुके होंगे (नीति आयोग)।
   - **वैश्विक जागरूकता:** एक्स जैसे प्लेटफॉर्म बच्चों को वैश्विक घटनाओं पर नज़र रखने में सक्षम बनाते हैं, तथा जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकार जैसे मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं।

2. **रचनात्मकता और आत्म-अभिव्यक्ति**

   सोशल मीडिया रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है:

   - **सामग्री निर्माण:** सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म बच्चों को वीडियो, कला और संगीत बनाने का अवसर देते हैं, जिससे उनकी रचनात्मकता बढ़ती है। 2024 में, 13-17 वर्ष की आयु के 30% से अधिक भारतीय किशोरों ने सोशल मीडिया पर सामग्री बनाने की सूचना दी (प्यू रिसर्च)।
   - **व्यक्तिगत ब्रांडिंग:** किशोर अपनी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, जैसे नृत्य या लेखन, जिससे आत्मविश्वास और पहचान बनती है।
   - **सहयोगात्मक परियोजनाएं:** ऑनलाइन समुदाय बच्चों को परियोजनाओं पर सहयोग करने में सक्षम बनाते हैं, जिससे टीमवर्क और नवाचार को बढ़ावा मिलता है।

Sample Preview
Click Here to Buy Linking Publications

भारतीय समाज पर प्रभाव

बाल विकास पर सोशल मीडिया के प्रभाव का भारतीय समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है:

- **शैक्षिक समानता:** सोशल मीडिया ने शिक्षा को लोकतांत्रिक बना दिया है, लेकिन डिजिटल विभाजन ग्रामीण बच्चों के लिए इसके लाभों को सीमित करता है।
- **सांस्कृतिक बदलाव:** यह बच्चों को वैश्विक संस्कृतियों से परिचित कराता है, समावेशिता को बढ़ावा देता है, लेकिन सांस्कृतिक क्षरण के बारे में चिंता भी बढ़ाता है।
- **भावी कार्यबल:** सोशल मीडिया के माध्यम से अर्जित डिजिटल कौशल बच्चों को तकनीक-संचालित करियर के लिए तैयार करते हैं, जो भारत के उद्योग 4.0 लक्ष्यों के अनुरूप है।
- **सामाजिक सामंजस्य:** हालांकि सोशल मीडिया कनेक्टिविटी को बढ़ावा देता है, लेकिन साइबर धमकी और गलत सूचना सामाजिक सद्भाव को प्रभावित कर सकती है।

निष्कर्ष

भारत में बाल विकास के संदर्भ में सोशल मीडिया एक दोधारी तलवार है, जो अपार अवसर प्रदान करते हुए गंभीर जोखिम भी पैदा करता है। एक वरदान के रूप में, यह शिक्षा, रचनात्मकता और सामाजिक संपर्क को बढ़ाता है और बच्चों को दुनिया से जुड़ने के लिए सशक्त बनाता है। हालाँकि, एक अभिशाप के रूप में, यह मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक कौशल और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ख़तरा है, खासकर जब इसे नियंत्रित न किया जाए। नए साइबर अपराध कानून, डिजिटल सुरक्षा अभियान और शैक्षिक एकीकरण जैसे हालिया विकास, भारत द्वारा सोशल मीडिया की क्षमता का दोहन करते हुए उसकी चुनौतियों का समाधान करने के प्रयासों को दर्शाते हैं। डिजिटल साक्षरता, अभिभावकीय मार्गदर्शन और प्लेटफ़ॉर्म जवाबदेही को बढ़ावा देकर, भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि सोशल मीडिया समग्र बाल विकास में सहायक हो। जैसे-जैसे देश 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, सोशल मीडिया के उपयोग के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण एक ऐसी पीढ़ी के पोषण में महत्वपूर्ण होगा जो सूचित, रचनात्मक और लचीली हो।

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications